



प्रेषक,

राहुल सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्योग,
कानपुर, उ०प्र०।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2

लखनऊ:दिनांक: 17 मार्च,2026

विषय:- आईटी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग की वेबसाइट के वर्ष-2025-26 में वार्षिक अनुरक्षण एवं सिक्योरिटी आडिट आदि के कार्यों के लिये पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि रुपये 26,000/- (रुपये छब्बीस हजार मात्र) की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को के पत्र संख्या-डी/2025-26/4094, दिनांक 11-02-2026 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आईटी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग की वेबसाइट के वर्ष-2025-26 में वार्षिक अनुरक्षण एवं सिक्योरिटी आडिट आदि के कार्यों के लिये चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के राज्य आय-व्ययक की "अनुदान संख्या-007-उद्योग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के लेखा शीर्ष 2852-उद्योग-07-दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग-202-इलेक्ट्रानिक्स-07-मुख्यमन्त्री हेल्पलाइन -42- अन्य व्यय " मद में प्राविधानित रु० 4492.52 लाख की धनराशि के सापेक्ष लगभग रु० 929.52 लाख की चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवशेष बचत सम्भावित है।

अतः आईटी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग की वेबसाइट के वार्षिक अनुरक्षण एवं सिक्योरिटी आडिट आदि के कार्यों के लिए उक्त मद में से अवशेष धनराशि रु० 929.52 लाख में से धनराशि रुपये 26,000/- (रुपये छब्बीस हजार मात्र) का पुनर्विनियोग के माध्यम से "अनुदान संख्या-007-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के लेखा शीर्ष 2852-उद्योग-07-दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग-202-इलेक्ट्रानिक्स 29-वेबसाइट का सिक्योरिटी आडिट एवं अनुरक्षण-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान" मद में कराते हुये संलग्न बी0एम0-9 प्रपत्र (प्रतिसंलग्न) में उल्लिखित धनराशि रुपये 26,000/- (रुपये छब्बीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये आपके निर्वतन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

1. निदेशक, उद्योग द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

2. उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5,भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबन्ध निदेशक,यूपीडेस्को द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
3. बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. उक्त धनराशि का लेखा-जोखा निदेशक, उद्योग, कानपुर द्वारा अपने यहां भी रखा जायेगा।
5. धनराशि का आहरण एकमुश्त न कर तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा। भुगतान से पूर्व प्रबन्ध निदेशक,यूपीडेस्को सम्बन्धित कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण होने के सम्बन्ध में सन्तुष्ट हो लेंगे तथा प्रस्तुत बिलों को सत्यापित करा लेंगे।
6. स्वीकृत धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में किया जायेगा। यदि शासकीय धन पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
7. स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27-03-2025 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
8. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृति की जा रही है। स्वीकृत कार्यों से इतर धनराशि का व्यय वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।
9. प्रबन्ध निदेशक,यूपीडेस्को धनराशि से सम्बन्धित आँकड़ों की शुद्धता सुनिश्चित करेंगे।
10. उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय उपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रबन्ध निदेशक,यूपीडेस्को (सक्षम स्तर) द्वारा वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज, निदेशक, उद्योग, कानपुर तथा आईटी एवं इले० अनुभाग-2, उ०प्र० शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
11. स्वीकृत धनराशि का उपयोग वेबसाइट का सिक्योरिटी ऑडिट एवं अनुरक्षण तथा व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान हेतु निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
12. प्रबन्ध निदेशक,यूपीडेस्को द्वारा वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1(1)/69, दिनांक 25.10.1983, शानसादेश संख्या-ए-1-235/दस-2011-151(1)/69, दिनांक 18.09. 2017 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
13. धनराशि कार्यदायी संस्था को निर्गत किये जाने के दिनांक से उनके द्वारा वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक, जो भी ब्याज अर्जित होगा उसे राजकोष में जमा कराये जाने का दायित्व प्रबन्ध निदेशक,यूपीडेस्को का होगा।
14. वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन का जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए प्रबन्ध निदेशक,यूपीडेस्को जिम्मेदार होंगे।
15. प्रबन्ध निदेशक,यूपीडेस्को द्वारा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक आवश्यक रूप से करा लिया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्तांकित आंकड़ों में भी समायोजन करा दिया जाये।
16. प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को नीति / योजना के अनुसार इकाई की पात्रता एवं आकड़ों की शुद्धता का परीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे। किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को उत्तरदायी होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 26,000 (रुपये छब्बीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 2852072022900 वेबसाइट का सिक्योरिटी आडिट एवं अनुरक्षण मानक मद 16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय -व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक- 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
राहुल सिंह
विशेष सचिव।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उ०प्र० लखनऊ/प्रयागराज।
- 3- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ, उ०प्र०।
- 6- संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
- 7- प्रबन्ध निदेशक, यू०पी०डेस्क, गोमती नगर, लखनऊ।
- 8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
- 9- नियोजन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन।
- 10- औद्योगिकी विकास अनुभाग-2/सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-3
- 11- अनु सचिव/नोडल अधिकारी ऑनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 12- आई०टी० एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
- 13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राहुल सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।